रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 1972/आषाढ़ 10, 1894
No. 153] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 1972/ASADHA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

16.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July 1972

No. RS. 7/1/70-L(1).—The following amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States (Rajya Sabha) as adopted by the Rajya Sabha at its sitting held on the 1st June, 1972, are hereby published for general information:—

Rule 180

1. For sub-rule (5), the following sub-rule be substituted, namely:—

"(5) The proposed matter shall be raised after the questions and the laying of papers, if any, on the Table and before any other item in the list of business is taken up and at no other time during the sitting of the Council.

Rule 204

2. For rule 204, the following rule be substituted, namely:—

204. *Committee on Subordinate Legislation.*—There shall be a Committee on Subordinate Legislation to scrutinize and report to the Council whether the powers to make rules, regulations, bye-laws, schemes or other statutory instruments conferred by the Constitution or delegated by Parliament have been properly exercised within such conferment or delegation, as the case may be.

Rule 209

3. For rule 209, the following rule be substituted, namely:—

209. *Duties of Committee.*—After each rule, regulation, bye-law, scheme or other statutory instrument (hereinafter referred to as the 'order') framed in pursuance of the Constitution or the legislative functions delegated by Parliament to a subordinate authority and which is required to be laid before Parliament, is so laid before the Council, the Committee shall, in particular consider—

(i) whether the order is in accord with the provisions of the Constitution or the Act pursuant to which it is made;

(ii) whether the order contains matter which in the opinion of the Committee should more properly be dealt with in an Act of Parliament;

(iii) whether the order contains imposition of taxation;

(iv) whether the order directly or indirectly bars the jurisdiction of the court;

(v) whether the order gives retrospective effect to any of the provisions in respect of which the Constitution or the Act does not expressly give any such power;

(vi) whether the order involves expenditure from the Consolidated Fund of India or the public revenues;

(vii) whether the order appears to make some unusual or unexpected use of the power conferred by the Constitution or the Act pursuant to which it is made;

(viii) whether there appears to have been unjustifiable delay in its publication or laying the order before Parliament;

(ix) whether for any reason the form or purport of the order calls for any elucidation.

4. After rule 212, the following new rules be inserted, namely:—

CHAPTER XVII-A

Committee on Government Assurances

212(A). *Committee on Government Assurances.*—There shall be a Committee on Government Assurances to scrutinize the assurances, promises, undertakings etc., given by Ministers, from time to time, on the floor of the Council and to report on—

(a) the extent to which such assurances, promises, undertakings etc., have been implemented; and

(b) when implemented whether such implementation has taken place within the minimum time necessary for the purpose.

212(B). *Constitution of the Committee.*—(1) The Committee shall consist of ten members who shall be nominated by the Chairman.

(2) The Committee nominated under sub-rule (1) shall hold office until a new Committee is nominated.

(3) Casual vacancies in the Committee shall be filled by the Chairman.

212(C). *Chairman of the Committee.*—(1) The Chairman of the Committee shall be appointed by the Chairman from amongst the Members of the Committee:

Provided that if the Deputy Chairman is a member of the Committee he shall be appointed Chairman of the Committee.

(2) If the Chairman of the Committee is for any reason unable to act, the Chairman may similarly appoint another Chairman of the Committee in his place.

(3) If the Chairman of the Committee is absent from any meeting, the Committee shall choose another member to act as Chairman of the Committee for that meeting.

212(D). *Quorum.*—(1) In order to constitute a meeting of the Committee, the quorum shall be five.

(2) The Chairman of the Committee shall not vote in the first instance but in the case of an equality of votes on any matter, he shall have, and exercise, a casting vote.

212(E). *Power to take evidence or call for papers, records or documents.*—(1) The Committee shall have power to require the attendance of persons or the production of papers or records, if such a course is considered necessary for the discharge of its duties:

Provided that Government may decline to produce a document on the ground that its disclosure would be prejudicial to the safety or interest of the State.

(2) Subject to the provision of this rule, a witness may be summoned by an order signed by the Secretary and shall produce such documents as are required for the use of the Committee.

(3) It shall be in the discretion of the Committee to treat any evidence tendered before it as secret or confidential.

212(F). *Presentation of the Report.*—The Report of the Committee shall be presented to the Council by the Chairman of the Committee or, in his absence, by any member of the Committee.

212(G). *Regulation of Procedure.*—The Committee shall determine its own procedure in connection with all matters connected with the consideration of any question of assurances, promises, undertakings, etc. in the Committee.

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1972

संख्या आर एस 7/1/7 -एल (1).—राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के निम्नलिखित संशोधन, जिस रूप में वे राज्य सभा द्वारा 1 जून, 1972 को अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये, एतद्द्वारा सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं :—

नियम 180

1. उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

(5) प्रस्थापित विधेय प्रश्नों और यदि सभा पटल पर रखे जाने के लिये कोई पत्र हों तो उनके सभा पटल पर रखे जाने के बाद तथा कार्यवलि में दर्ज किसी

किसी अन्य मद के लिये जाने से पहले उठाया जायेगा और राज्य सभा की बैठक के दौरान अन्य किसी समय नहीं उठाया जायेगा।

नियम 204

2. नियम 204 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

204. **अधीनस्थ विधान संबंधी समिति.**—अधीनस्थ विधान संबंधी एक समिति इस बात की परिनिरीक्षा करने और राज्य सभा को यह प्रतिवेदन करने के लिये होगी कि क्या इन नियमों, विनियमों, उपविधियों, योजनाओं अथवा अन्य परिनियत संलेखों को बनाने की संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, यथास्थिति उस परिदान या प्रत्यायोजन के अन्तर्गत उचित रूप से किया गया है।

नियम 209

3. नियम 209 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

209. **समिति के कर्तव्य.**—संविधान के अथवा संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण के बनाये गये प्रत्येक नियम, विनियम, उपविधि, योजना अथवा अन्य परिनियत संलेख के (जिसे इसके पश्चात् 'आदेश' कहा गया है) जिसको संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, राज्य सभा के समक्ष इस प्रकार रखे जाने के बाद, समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी कि :—

(1) क्या वह आदेश संविधान के उपबंधों अथवा उस अधिनियम के अनुकूल है जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है ;

(2) क्या उस आदेश में ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है जिसे समिति की राय में अधिक समुचित ढंग से संसद के अधिनियम के द्वारा निपटाया जाये ;

(3) क्या उस आदेश में कोई करारोपण अन्तर्विष्ट है ;

(4) क्या उस आदेश से न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुकावट होती है ;

(5) क्या वह आदेश उन उपबंधों में से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है जिसके संबंध में संविधान अथवा अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता ;

(6) क्या उस आदेश में भारत की संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय अन्तर्गस्त है ;

(7) क्या उस आदेश में संविधान अथवा उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का, जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है, असाधारण अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है ;

(8) क्या उस आदेश के प्रकाशन में या उसके संसद् के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है ;

(9) क्या किसी कारण से आदेश के रूप या अभिप्राय के किसी विशुद्धिकरण की आवश्यकता है ।"

4. नियम 212 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम अन्तःस्थापित किये जायें, अर्थात्:—

अध्याय 17-क

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

212(क) **सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति.**—राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा समय-समय पर दिये गये आश्वासनों, वचनों, प्रतिज्ञाओं आदि की परिनिरीक्षा करने और निम्नलिखित बातों के बारे में प्रतिवेदन करने के लिये एक समिति होगी कि :—

(क) ऐसे आश्वासन, वचन, प्रतिज्ञाएं आदि कहां तक कार्यान्वित कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि वे कार्यान्वित कर दिये गये हैं तो क्या यह कार्यान्वित इस काम के लिये आवश्यक न्यूनतम समय में हुआ है ।

212 (ख) **समिति का गठन.**—(1) समिति में 10 सदस्य होंगे जो सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे ।

(2) उपनियम (1) के अधीन नाम-निर्देशित समिति कोई नई समिति नाम-निर्देशित होने तक कार्य करती रहेगी ।

(3) समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति सभापति द्वारा की जायेगी ।

212 (ग) **समिति का सभापति.**—(1) समिति का सभापति समिति के सदस्यों में से सभापति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

परन्तु यदि उपसभापति समिति का सदस्य हो तो उसे समिति का सभापति नियुक्त किया जाएगा ।

(2) यदि समिति का सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो सभापति उसी प्रकार से उसके स्थान पर समिति का एक अन्य सभापति नियुक्त कर सकेगा ।

(3) यदि समिति का सभापति किसी बैठक में अनुपस्थित रहे तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के सभापति के रूप में कार्य करने के लिये चुनेगी ।

212 (घ) **गणपूर्ति.**—(1) समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति पांच होगी ।

(2) समिति का सभापति प्रथमतः मत नहीं देगा, परन्तु किसी विषय पर मतों की संख्या समान होने की अवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

212 (ङ०) **साक्ष्य लेने अथवा पत्रों, अभिलेखों या प्रलेखों** को मंगाने की शक्ति.—(1) यदि समिति अपने कर्तव्य-पालन के लिये व्यक्तियों को उपस्थिति अथवा पत्र अथवा अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक समझे तो उसे ऐसा मार्ग अपनाने की शक्ति होगी :

परन्तु सरकार किसी प्रलेख को प्रस्तुत करने से इस आधार पर इंकार कर सकेगी कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा।

(2) इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के द्वारा किसी साक्षी को आमंत्रित किया जा सकेगा और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिये अपेक्षित हों।

(3) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।

212(च) **प्रतिवेदन का उपस्थापन.**—समिति का प्रतिवेदन राज्य सभा में समिति के सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा उपस्थित किया जायेगा।

212(छ) **प्रक्रिया का विनियमन**—समिति, समिति में आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों इत्यादि के उसकी प्रश्न पर विचार से संबंधित सभी विषयों के बारे में अपनी प्रक्रिया स्वयं-निर्धारित करेगी।

श्री० एन० बनर्जी, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972